BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

M A NO. 38 of 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 964/2024

IN THE MATTER OF:

SYES MOHD RASHID ...**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UP & ORS. ...**RESPONDENT(S)**

N.D.O.H. 22.09.2025

INDEX

SL. No.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board	1-5
2	**Annexure-1** True copy of the dated 08.09.2025	6-14

DATED: 16 .09.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONALGREEN TRIBUNAL, PRINCIPALBENCH, NEW DELHI

M. A. NO. 38 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 964 OF 2024

IN THE MATTER OF:
SYED MOHD RASHID **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. **...RESPONDENTS**

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 3, UTTAR PRADESHPOLLUTION CONTROL BOARD

I, Dr. Yogender Kumar, aged about 49 years, S/o Pyare Lal, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Saharanpur, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I in the above noted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That by mean of an Original Application No. 964/2024; Syed Mohd Rashid Versus State of U.P. & Ors., the Applicant has raised a grievance that land of ponds at Khasra No. 271M area 0.1020 hectare and Khasra

No.273 area 0.1740 hectare at village Tashipur has been encroached upon by Imran, Inam, Israr, Son of Abdul Hasan, residents of village Tashipur in violation of law.

3. That abovenoted matter came up for hearing on 17.09.2024, upon considering the matter this Hon'ble Tribunal by disposing of the original application has constituted a joint committee comprising of UPPCB and District Magistrate, with the direction to visit the site and ensure that if there is a designated pond as per revenue record, the same is maintained in accordance with area etc., mentioned in revenue record, in the light of law laid down by Supreme Court in Hinch Lal Tiwari, and appropriate remedial, punitive, and preventive action shall be taken to restore the pond to its original position.

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Distt. Saharanpur Reg.- 8286/10 GOVT. OF INDIA

4. That in compliance of the abovesaid directions, a joint committee report has been submitted by the District Magistrate, Saharanpur on 18.11.2024 for consideration of this Hon'ble Tribunal. Considering the joint committee report and observation made in the said report this Hon'ble Tribunal has treated the said report as M.A. No. 38 of 2025 which came up for hearing on 07.04.2025 when this Hon'ble Tribunal has impleaded the answering respondent as a party.

5. That further in compliance of the above direction the reply has been filed by the UPPCB on 16.05.2025, which is already on record.

6. That further vide its order dated 18.07.2025 this Hon'ble Tribunal has directed as follows:

> *"...4. Learned Counsel for respondents no. 1, 2 and 3 also seek time to file further progress reports.*
>
> *5. Responses to the replies filed by respondents no. 1, 2 and 3 may be filed by the applicant and further progress reports may be filed by respondents no. 1, 2 and 3 within two months...."*

7. That in compliance of the direction passed by this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 964/2024, Syed Mohd Rashid Versus State of U.P. & Ors., a site inspection of the site in question has been carried out by the joint team of Deputy Teshildar, Deoband (Revenue Team In-charge) and UPPCB.

8. That further in pursuance of the instructions given during the earlier on-site inspection, an investigation was again conducted on 21.10.2024 at Khasra Nos. 271, 272 and 273, Village-Tashipur, Pargana-Nagar, Tehsil-Deoband, District-Saharnpur.

9. That it is most respectfully submitted that regarding the present matter in question, 22 suits under Section 67(1) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 have been instituted before the Court of Tehsildar, Deoband against the persons found in illegal possession. The

said proceedings are pending.

10. That further it is also pertinent to mention here that one Civil Suit has been registered being Case No. 32/2025, Mohd. Murtaza S/o Bashir, R/o Village-Tashipur Versus State of U. P. and Ors., pending before the Court of Civil Judge (S.D.)/Additional Chief Judicial Magistrate, Deoband, Saharanpur. The said Court vide its order dated 21.05.2025 has directed the Collector, Saharanpur and Gram Sabha, Tashipur to maintain status quo regarding the site in dispute and the next date of hearing has been fixed as 17.09.2025.

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg.- 8286/10
GOVT. OF INDIA

11. That it is also necessary to point out here that the said information has been provided by the District Magistrate, Saharanpur to UPPCB vide its letter dated 08.09.2025.

A true copy of the letter dated 08.09.2025 alongwith annexure is being annexed herewith and marked as **Annexure-1**.

The above facts are being placed on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 12th DAY OF SEPTEMBER, 2025 AT SAHARANPUR

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg.- 8286/10
GOVT. OF INDIA

IDENTIFIED BY

KALEEM AHMAD
Advocate
Reg. No.-10533/01
Ch.-63, Civil Court, SRE
Mob.-9359206239

DEPONENT

S No 3143

This affidavit is made before me to-, in my office......2.10...A.M./P.M
By Shri...Dr. Yogesh Kumar SE Paprulub
who is identified by Shri...Kaleem Ahmad Adv
The contents of the affidavit have been explained to the deponent who admit to understand them.
Saharanpur
U.P. INDIA
12/9/2025
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary

Annexure-1

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये गये मूल आवेदन पत्र संख्या 964/2024 सैय्यद मोहम्मद राशिद बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या चाही गयी थी। तत्क्रम में ग्राम ताशीपुर मु0, परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के खसरा न0 271, 272 व 273 की जॉच एवं आवश्यक पैमाईश राजस्व टीम प्रभारी श्रीमति मोनिका चौहान नायब तहसीलदर देवबन्द एवं प्रभारी अधिकारी प्रदूषण टीम श्री एन0एम0 त्रिपाठी सहायक वैज्ञानिक के नेतृत्व में की गयी। प्रकरण में पुनः दिनांक 21.10.2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय देवबन्द एवं प्रभारी अधिकारी प्रदूषण टीम डा0 योगेन्द्र कुमार द्वारा की गयी जॉच एवं स्थलीय निरीक्षण के समय दिये गये निर्देश के क्रम में जॉच कर आख्या प्रेषित कर दी गयी थी। जिसकी छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। इस प्रकरण में स्थल पर अवैध रुप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–67(1) के अन्तर्गत 22 वाद योजित किये गये थे, जो श्रीमान तहसीलदार महोदय देवबन्द के न्यायालय में विचाराधीन है।

594

उक्त प्रकरण में 01 वाद न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0–डि0) देवबन्द जिला सहारनपुर वाद संख्या–32/2025 मौ0 मुर्तजा पुत्र बशीर नि0 ग्राम ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द बनाम यू0पी0 स्टेट द्वारा श्रीमान कलेक्टर सहारनपुर व ग्राम पंचायत/ग्राम सभा ताशीपुर योजित किया गया है, जिसमें दिनांक 17.09.2025 नियत है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मौके पर उभय पक्षों को यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये गये है।

जॉच आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

RO. Pollution

08/09/2025
अजय प्रताप सिंह
लेखपाल
क्षेत्र ...
...देवबन्द जि0

493/PA
तहसीलदार आख्या सादर प्रेषित

03/09/2025
मौ0 तसलीम
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र............
तहसील ...

03/9/2025.
Teh

03/09/25
उपजिलाधिकारी
देवबन्द

जिलाधिकारी
सहारनपुर।
8/9/2025

कब्जाधारको का विवरण

क्र0 सं0	कब्जाधारकों का नाम व पता	खसरा न0	क्षेत्रफल (हे0 में)	भूमि की श्रेणी	कब्जे की प्रकृति	उ0प्र0रा0स0 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत योजित वाद की सं0
1	2	3	4	5	6	7
1	शहजाद, शाहनवाज व इखलाख पुत्रगण शब्बीर निवासी ग्राम	273	0.0071	श्रेणी–6(1) जोहड.	पक्का मकान बनाकर	T202409600405984
2	इरशाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम	273	0.0096	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405985
3	अरशद पुत्र यामीन निवासी ग्राम	273	0.0053	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405986
4	इमरान पुत्र मकसूद निवासी ग्राम	273	0.0033	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405987
5	सलीम पुत्र मौहम्मद निवासी ग्राम	273	0.0041	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405988
6	मुकर्रम पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम	273	0.0190	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405989
7	दिलशाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम	273	0.0092	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405990
8	इमरान, इनाम, व इसरार पुत्रगण आबुल हसन निवासी ग्राम	273	0.0773	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405991
		271म	0.0173	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	

9	[illegible] पुत्र कुरबान	272	0.0200	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405992
		271म	0.0320	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	
10	जहाँगीर पुत्र मुकददस निवासी ग्राम	271म	0.0114	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405993
11	साजिद पुत्र काजिम निवासी ग्राम	271म	0.0031	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405994
		271म	0.0079	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	
12	वाजिद पुत्र काजिम निवासी ग्राम	271म	0.0094	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600406005
13	शहजाद, शाहबान व इस्तखार पुत्रगण मुर्तजा निवासी ग्राम	271म	0.0099	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405995
14	मुस्तकीम पुत्र गफूर	271म	0.0112	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405996
15	अब्दुल रऊफ पुत्र इसरार निवासी ग्राम	271म	0.0059	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405997
16	नबाब व आलमगीर पुत्रगण कुरबान निवासी ग्राम	271म	0.0090	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600406004
17	इरफान पुत्र गालिब निवासी ग्राम	271म	0.0085	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405998
18	आदिल पुत्र मुकददस निवासी ग्राम	271म	0.0064	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405999

19	अरशद व रियासत पुत्रगण ताहिर निवासी ग्राम	271म	0.0056	श्रेणी--6(2) गोयरा	कुरडी डाल कर	T202409600406000
20	मुर्तजा पुत्र बशीर निवासी ग्राम	271म	0.0090	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600406001
21	श्रीमति जमीला पत्नी अख्तर	271म	0.0073	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600406002
22	साजिद, कामिल व फईम पुत्रगण इरशाद निवासी ग्राम	271म	0.0030	श्रेणी–6(1) जोहड़	पक्का मकान बनाकर	T202409600406003
23	रास्ता	271म	0.0189	श्रेणी–6(1) जोहड	सार्वजनिक रास्ता	
	रास्ता	271म	0.0282	श्रेणी–6(2) गोयरा	सार्वजनिक रास्ता	
	रास्ता	273	0.0391	श्रेणी–6(2) गोयरा	सार्वजनिक रास्ता	
कुल रकबा (271म+273+272)			0.3980			

05.11.2024
अजय प्रताप सिंह
लेखपाल
क्षेत्र-[illegible]
[illegible] देवबन्द जि०

05/11/2024
Ri (B)

05/11/2024
Teh (D)

02
11-09-25

ABDUL HADI KHAN, Advocate
R No. 2647/78 ... -9-1978
Ch No. 45, Civil Court Compound
Deoband Distt. Saharanpur (U.P.)

प्रार्थी का नाम अब्दुल हादी खान (Adv.)
नकल देने का दिनांक 11-09-25 ग्यारह सितम्बर 2025
नोटिस का दिनांक 11-09-25
तारीख का दिनांक 11-9-2
30 मुद्रा प्रतिलिपिक

10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

सिविल प्रतिलिपि विभाग देवबन्द सिविल कोर्ट

न्यायालय अपर सिविल जज सी०डि० देवबन्द
जिला — सहारनपुर
वाद सं० — 32/25
मौ० मुर्तजा बनाम यू० पी० स्टेट आदि।
नकल — आदेश पत्र दिनांकी
14-05-25 से 22-05-25 की
छायाप्रति संलग्न

Scanned with OKEN Scanner

T.I 04/08/25

30.7.25 वाद पेश हुआ। स्टेट की ओर से
अधिवक्ता हाजिर आए। वाद वास्ते
सुनवाई प्रा० पत्र 6 C 2 दि० 04/08/25
को पेश हो। T.I नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।
ACJ (SD)

(OP) 15 ha. fox (P) Ac

04.8.25 — T.I 14/8
वाद पेश हुआ। आवेदक गण
अपने — वकील सहित हाजिर, वास्ते
सुन० प्रा० पत्र 6 C 2 दिनांक 14.8.25
पेश हो। T.I नियत दिनांक तक
प्रभावी रहेगा।
C J (SD)

Pankaj (OP)

25.8.25 — T.I 25/8/25
वाद पेश हुआ। पी० ओ० अवकाश
पर हैं वास्ते
सुन० प्रा० पत्र 6 C 2 दिनांक
25.8.25 को पेश हो। TI
नियत दिनांक तक प्रभावी रहेगा।
आदेश C J (SD)

Pankaj (OP)

25.8.25 — 17/09
वाद पेश हुआ। आवेदक गण
अपने वकील सहित हाजिर, वास्ते
सुन० प्रा० पत्र 6 C 2 दि० 17.9.25
को पेश हो। T.I नियत दिनांक
तक जारी रहेगा।
C J (SD)

T.I Pankaj (OP)

नकल नोटिस ... 27.8.2025 ...
P.O. महोदय की ...

सत्य प्रतिलिपि
सिविल कोर्ट ...

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0 डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।
उपस्थिति– परविन्दर सिंह (उ०प्र० न्यायिक सेवा) आई०डी०– UP 2500
वाद संख्या– 32 / 2025
मौ0 मुर्तजा बनाम यू0 पी0 स्टेट आदि।
14–05–2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रार्थना पत्र 6 ग की सुनवाई हेतु नियत चली आ रही है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा वादी का घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद दिनांक– 17–03–2025 को दायर किया गया था। वाद दायर करने से पूर्व में वादी द्वारा विपक्षीगण को धारा 80 सीपीसी व 106 यू0 पी0 पंचायतराज एक्ट के अंतर्गत नोटिस भी दिया जा चुका है। वाद दायर करने के उपरान्त से ही विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता को वाद की जानकारी है, लेकिन विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा अब तक जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया है। अतः उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि अग्रिम नियत दिनांक तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखें। उभयपक्ष नियत दिनांक को आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। उक्त आदेश अग्रिम नियत दिनांक तक प्रभावी रहेगा। प्रार्थना पत्र 6 ग पर सुनवाई हेतु अंतिम अवसर। यदि कोई भी पक्षकार उपस्थित आकर सुनवाई सुनिश्चित नहीं करता है तो नियमानुसार अग्रिम आदेश पारित किया जायेगा। वादी का स्थगन मान्य नहीं होगा। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र 6 ग दिनांक– 21–05–2025 को पेश हो।

सिविल प्रतिलिपि विभाग देवबन्द सिविल कोर्ट

14/05/2025

परविन्दर सिंह (UP 2500)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर।

21/05/25
वाद पेश हुआ अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं वास्ते सुनवाई 6C2 दिनांक 22/5/25 को पेश हो
T.I. निम्न तिथि तक प्रभावी रहेगा
CJ(SD)

22/5

Pawan Sikka
UP State. op.1

22/5/25
वाद पेश हुआ अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं वास्ते सुनवाई 6C दिनांक 26/05/25 को पेश हो। T.I. नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा
(SD)

26/5

30/5

नकल दर्ज. 4
तुलना कर्ता. 4
शब्दों की संख्या

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट देवबन्द (सहारनपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पीयूष कुमार वर्मा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल)
चैम्बर नं०-2
सिविल कोर्ट सहारनपुर
पंजीयन सं०-12004/2000
मो० नं०-9258351406

साक्ष्य प्रयोजन हेतु, श्री/श्रीमान जी

न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नगर सहारनपुर

वाद सं० 32/2025

मो० सलीम बनाम यू०पी० स्टेट आदि

नकल — आदेशपत्र दि० 23-7-2018 से दि० 25-8-2025 तक की छायाप्रति

संलग्न

प्रार्थी का नाम
प्रा० पत्र देने का दिनांक
नोटिस का दिनांक
वापसी का दिनांक
पृष्ठ प्रतिलिपि

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0 डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।
उपस्थिति- परविन्दर सिंह (उ०प्र० न्यायिक सेवा) आई०डी०- UP 2500
वाद संख्या- 32 / 2025
मौ0 मुर्तजा बनाम यू0 पी0 स्टेट आदि।
23-07-2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०- 15 C 2

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं०- 15 C 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उत्तर पत्र तैयार कराने के लिये प्रार्थी को वाद के नैरेटिव की व सरकारी अभिलेखों की आवश्यकता होती है, जो थोड़ा विलम्ब से प्राप्त हुये और प्राप्त होते ही उत्तर-पत्र तैयार कराकर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के हस्ताक्षर हेतु भेजा गया और प्राप्त होने पर अविलम्ब पत्रापली पर ग्रहित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, विलम्ब सदभावी है, जानबूझ कर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उत्तर पत्र को पत्रावली पर ग्रिहित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी पक्ष बिल्कुल गलत व बनावटी ब्यानात के साथ प्रस्तुत न्यायालय किया गया है, जो हर सूरत में खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी पक्ष को दावा दायर होने के दिनांक से ही वाद हाजा की पूरी-पूरी जानकारी रही तथा दावा दायर होने के दिनांक पर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ए0 डी0 जी0 सी0 महोदय अदालत हाजा में उपस्थित हुए तथा उन्होंने पत्रावली का अवलोकन किया। कानूनन व इंसाफन प्रतिवादी पक्ष को 30 दिवस के भीतर अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए था मगर जानबूझकर देरी करते हुये प्रार्थना पत्र बिना किसी माकूल वजह के बनावटी तथ्यों पर आधारित करते हुये विधि विरूद्ध जवाबदावा दाखिल अदालत किया गया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दवाबदावा प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल दर्शित है। जबकि उक्त जवाबदावे पर एक जगह हस्ताक्षर केवल मौजूद है। प्रतिवादीगण के जवाबदावे पर हस्ताक्षर नहीं है तथा जवाबदावे की तस्दीक पर केवल एक ही प्रतिवादी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/जिला भूमि व्यवस्थाधिकारी सहारनपुर के मात्र एक जगह ही हस्ताक्षर स्पष्ट है कि प्रस्तुत जवाबदावा विधि के मेन्टेडही प्रविधानों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त कारणों से प्रतिवादी पक्ष हर सूरत में खारिज होने योग्य है।

उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय उचतम न्यायालय की सुस्थापित विधि व्यवस्था अवलोकनीय है-
[AIR 2005 SUPREME COURT] Kailash Vs Nanhku & Ors.

सुना एवं अवलोकन किया।

उक्त तथ्यो एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रार्थन पत्र पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद का निस्तारण उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा उक्त जवाबदावा को पत्रावली पर लिये जाने की प्रार्थना की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसंगत है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं0- 15 C 2 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई प्रार्थना पत्र 6 C दिनांक- 30-07-2025 को पेश हो।

23.7.2-25

परविन्दर सिहं (UP 2500)
अपर सिविल जज (सी०डि०)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर।

Scanned with OKEN Scanner